राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
32/23	26.06.23	31.01.25

बउनवान

1. रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. रामचरण पुत्र श्री लाल निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. चेयरमैन नगरपालिका मण्डल मण्डावर।
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डावर।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री जगदीश प्रसाद मीना।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं. 754 के खसरा सं. 1169 रकबा 0.36 हैक्टे. व 1170 रकबा 0.84 हैक्टे. प्रार्थी सं. 1 व 2 की सहखातेदारी की भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें खसरा सं. 1170 पर प्रार्थी सं. 1 ने मौके पर तारबंदी कर रखी थी तथा खसरा सं. 1169 व 1170 पर मौके पर खसरा सं. 1236 गै. मु. रास्ते की ओर करीबन 30–40 हरे सरसब्ज पेड खडे थे तथा प्रार्थीगण ने अपने अपने खेतो में ज्वार की फसल बो रखी थी। खसरा सं. 1236 रकबा 0.13 हैक्टे. गै. मु. रास्ते की भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है, उक्त रास्ता रेलवे क्रोसिंग से मण्डावर का अगला बास/बडा बास तक जाता है जो मौके पर चालू है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते में सी.सी. रोड बनाने का प्रस्ताव लिया है। कानूनन अप्रार्थीगण गै. मु. रास्ता खसरा सं. 1236 में होकर ही सडक बनाने के लिये ही अधिकृत है परन्तु अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण से चुनावी रंजिश रखता है और चुनावी रंजिश के कारण ही दिनांक 06.06.23 की रात्रि को अप्रार्थीगण ने जेसीबी ट्रेक्टर व अन्य साधन लाकर जबरन प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा सं. 1169 व 1170 में खडे करीब 30–40 हरे पेडों को उखाड दिया, प्रार्थीगण की ज्वार की फसल को भी नष्ट कर दिया तथा मौके पर प्रार्थीगण के खेतो में से मिटटी उठाकर प्रार्थी के खसरा सं. 1169 व 1170 में ही जबरन सडक बनाने के मकसद से

की भूमि का छोडकर जबरन प्रार्थीगण के खेतो में होकर सडक निकालने पर आमादा है। अगर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेंगे। अप्रार्थीगण के द्वारा जबरन प्रार्थीगण के खेतो की तारबंदी तोडने तथा 30–40 हरे पेडो को नष्ट करने से प्रार्थीगण को करीब दो लाख रूपये का नुकसान हुआ है जिसकी क्षतिपूर्ति अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को करवाया जाना कानूनन आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण स्वयं या अपने नौकरो एजेन्टो घरवालो या अन्य मददगार ठेकेदारों कर्मचारीगण के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा सं. 1169 व 1170 वाके ग्राम मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा में होकर किसी भी प्रकार का खाम व पुख्ता सडक का निर्माण न करें, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा न करें तथा भूमि खसरा सं. 1236 गै. मु. रास्ता का सीमाज्ञान करके उक्त खसरा सं. 1236 में होकर ही सडक का निर्माण करें। अप्रार्थीगण मौके की व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें ।

प्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 26.06.23 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक भूमि मुतदाविया खसरा सं. 1169 व 1170 वाके ग्राम मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील, न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसलिये इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनका जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और उसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार, ग्राम मण्डावर तहसील मंडावर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी सं. 1 व 2 की सहखातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सह खातेदार हैं, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया यदि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का निर्माण किया जाता है तो तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेतो में होकर सडक का निर्माण कर मौके की स्थिति में बदलाव कर देते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 1169 रकबा 0.36 हैक्टे. व 1170 रकबा 0.84 हैक्टे. के सम्बन्ध में, इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 26.06.23 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट **(Confirm)** किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि

साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 31.01.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामेश्वर बनाम चैयर मैन मु.नं.– 34/23 किस्म – ग.ए	

19-10-23 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस अ.प्र.नि. दिनांक 12-12-24 को पेश हो। ह.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

12-12-24 — पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ के चुनाव 2024 में सभी अभिभाषकों के व्यस्तता के कारण अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-1-25 को पेश हो। ह.

03-1-25 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31-1-25 को पेश हो। ह.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

31-1-25 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ह.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)